रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 20, 2019/फाल्गुन 1, 1940
No. 115] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 2019/PHALGUNA 1, 1940

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 131(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 454 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शास्तियों का न्याय निर्णयन) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 में, नियम, 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. शास्तियों का न्यायनिर्णय.—(1) केन्द्रीय सरकार अपने किसी भी अधिकारी, जिसका पद रजिस्ट्रार के रैंक से कम न हो, को अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के न्यायनिर्णयन हेतु न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है।

(2) शास्ति के न्यानिर्णयन से पहले, न्यायनिर्णायक अधिकारी यथास्थिति कंपनी, प्रत्येक चूककर्ता अधिकारी, या कोई अन्य व्यक्ति, को विनिर्दिष्ट रीति से एक लिखित नोटिस जारी करेगा, जिसमें ऐसी अवधि जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए (जो उस पर तामील की तारीख की तारीख से 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक न हो) के भीतर उनसे यह कारण बताने को कहा जाएगा कि उस पर या उसको शास्ति क्यों नहीं आरोपित की जानी चाहिए।

(3) उप-नियम (2) के अधीन जारी प्रत्येक नोटिस में, यथास्थिति ऐसी कंपनी, चूककर्ता अधिकारी, या किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधिनियम के अधीन अभिकथित किए गए अननुपालन या चूक की प्रकृति स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी और अधिनियम के सुसंगत दांडिक उपबंधों और कंपनी, और प्रत्येक चूककर्ता अधिकारी, या अन्य व्यक्ति पर आरोपित अधिकतम शास्ति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

(4) ऐसे नोटिस का उत्तर नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इलेक्ट्रानिक ढंग में ही दायर किया जाएगा :

परंतु यह कि, न्यायनिर्णायक अधिकारी, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, उपरोक्त संदर्भित अवधि को पंद्रह दिनों अनधिक की अवधि के लिए विस्तारित कर सकता है, यदि यथास्थिति कंपनी या चूककर्ता अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस बात से संतुष्ट करवा देता है कि उसके पास नियत अवधि के भीतर नोटिस का उत्तर न देने का पर्याप्त कारण है या न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कंपनी या अधिकारी या उस व्यक्ति ने कम समय की नोटिस प्राप्त की है और उसके पास उत्तर देने का युक्तियुक्त समय नहीं था।

(5) यदि ऐसी कंपनी, यथास्थिति इसके अधिकारी, या अन्य किसी व्यक्ति, द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार करने के पश्चात, न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय हो की वस्तुत उपस्थिति अपेक्षित है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उत्तर की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस की अवधि के भीतर एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ऐसी कंपनी, या ऐसी कंपनी के अधिकारी, या अन्य किसी व्यक्ति, को व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की तारीख नियत होगीः

परंतु यह कि, यदि किसी व्यक्ति, जिसे उप-नियम (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया हो, व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मौखिक अभ्यावेदन करने की इच्छा रखता हो, और उसने इलेक्ट्रानिक ढंग में उत्तर प्रस्तुत करते समय इसकी सूचना दी हो, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को उपस्थिति की तारीख नियत करने के पश्चात ऐसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

(6) सुनवाई के लिए नियत की गई तारिख को और संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, न्यायनिर्णायक अधिकारी, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके कोई आदेश, जैसा वह उचित समझे, जिसमें स्थगन आदेश भी सम्मिलित है, पारित कर सकता हैः

पंरतु यह कि, सुनवाई के पश्चात, न्यायनिर्णायक अधिकारी, संबंधित व्यक्ति से उप-नियम (2) के अधीन नोटिस से संबंधित कुछ अन्य मुद्दो जो चूक का निर्धारण करने के लिए सुसंगत है, के संबंध में लिखित में उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(7) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित के अंतर्गत आदेश पारित किया जाएगा,-

(क) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर या यदि उप-नियम (5) के अधीन जहां वस्तुतः उपस्थिति अपेक्षित न हो, तो उसमें निर्दिष्ट ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर;

(ख) यदि उप-नियम (5) के अधीन कोई व्यक्ति न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ है, तो उप-नियम (2) के अधीन नोटिस जारी करने की तारीख से नब्बै दिनों के भीतरः

पंरतु यह कि यदि पूर्वोल्लिखित अवधि के पश्चात किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा विलंब के कारण अभिलिखित किए जाएंगे और केवल यथास्थिति ऐसे तीस दिनों या नब्बे दिनों, की समाप्ति के पश्चात आदेश पारित होने के कारण ऐसा कोई भी आदेश अवैध नहीं होगा।

(8) न्यायनिर्णायक अधिकारी के प्रत्येक आदेश को उनके द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उसमें उप-नियम(5) के अधीन वस्तुतः उपस्थिति की अपेक्षा के कारणों का स्पष्ट उल्लेख होगा।

(9) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति संबंधित कंपनी, चूककर्ता अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति या उन सभी को और केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और आदेश की एक प्रति वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, अर्थातः-

(क) लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति की उपस्थिति का समन और को प्रवर्तित करना;

(ख) साक्ष्य या दस्तावेज पेश करवाने के आदेश, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में विषय-वस्तु से सुसंगत हो सकते है।

(11) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम(5) या उप-नियम (10) के अधीन यथापेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष उत्तर देने में विफल होता है या उपस्थित होने के लिए इन्कार करता है, या उसकी उपेक्षा करता है, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करने पश्चात ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित कर सकता है।

IndiaCode

(12) शास्ति की मात्रा का न्यानिर्णय करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित कारकों पर सम्यक रूप से विचार किया जाएगा, अर्थातः-

(क) कंपनी का आकार;

(ख) कंपनी द्वारा किए जाने वाले कारबार की प्रकृति;

(ग) लोकहित को होने वाली क्षति;

(घ) चूक की प्रकृति;

(ङ) चूक का दोहराव;

(च) चूक के परिणामस्वरूप होने वाले अननुपातिक लाभ या अनुचित लाभ की राशि, जहां कहीं भी इसकी मात्रा निर्धारित की जा सके; और

(छ) चूक के परिणामस्वरूप किसी निवेशक या निवेशकों के समूह या लेनदारों को होने वाले नुकसान की राशिः

परंतु यह कि, किसी भी मामले में, अधिनियम की सुसंगत धारा के अधीन आरोपित शास्ति विहित न्यूनतम शास्ति, यदि कोई हो से कम नहीं होगी।

(13) यदि किसी उपबंध के चूक के लिए शास्ति की नियत राशि का प्रावधान हो, तो न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा उसमें चूक होने की स्थिति में वह नियत राशि आरोपित की जाएगी।

(14) केवल कारपोरेट कार्य मंत्रालय पोर्टल के माध्यम से ही शास्ति का भुगतान किया जाएगा।

(15) अधिनियम के अधीन शास्तियों के माध्यम से वसूली गई सभी राशियां भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी।

स्पष्टीकरण 1.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट रीति" शब्द से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 20 और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन यथाविनिर्दिष्ट सेवा के दस्तावेज और रजिस्ट्री में दायर किए गए केवाईसी दस्तावेजों में दिया गया पता (जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक ई-मेल आईडी सम्मिलित है) के संबंध में दिए गए ब्यौरे का प्रयोग इस नियम के अधीन सपंर्क करने के लिए किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, ई-न्यायनिर्णयन मंच के सृजन के पश्चात इलेक्ट्रानिक ढंग में उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा आज्ञापक हो जाएगी।"

[फा. सं. 1/25/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 254(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by section 454 read with section 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, namely:-

1. Short Title and Commencement.-(1) These rules may be called the Companies (Adjudication of Penalties) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Adjudication of Penalties. - (1) The Central Government may appoint any of its officers, not below the rank of Registrar, as adjudicating officers for adjudging penalty under the provisions of the Act.

(2) Before adjudging penalty, the adjudicating officer shall issue a written notice in the specified manner, to the company, the officer who is in default or any other person, as the case may be, to show cause, within such period as may be specified in the notice (not being less than fifteen days and more than thirty days from the date of service thereon), why the penalty should not be imposed on it or him.

(3) Every notice issued under sub-rule (2), shall clearly indicate the nature of non-compliance or default under the Act alleged to have been committed or made by such company, officer in default, or any other person, as the case may be and also draw attention to the relevant penal provisions of the Act and the maximum penalty which can be imposed on the company, and each of the officers in default, or the other person.

(4) The reply to such notice shall be filed in electronic mode only within the period as specified in the notice :

Provided that the adjudicating officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the period referred to above by a further period not exceeding fifteen days, if the company or officer in default or any person as the case may be, satisfies the adjudicating officer that it or he has sufficient cause for not responding to the notice within the stipulated period or the adjudicating officer has reason to believe that the company or the officer or the person has received a shorter notice and did not have reasonable time to give reply.

(5) If, after considering the reply submitted by such company, its officer, or any other person, as the case may be, the adjudicating officer is of the opinion that physical appearance is required, he shall issue a notice, within a period of ten working days from the date of receipt of reply fixing a date for the appearance of such company, through its authorised representative, or officer of such company, or any other person, whether personally or through his authorised representative :

Provided that if any person, to whom a notice is issued under sub-rule (2), desires to make an oral representation, whether personally or through his authorised representative and has indicated the same while submitting his reply in electronic mode, the adjudicating officer shall allow such person to make such representation after fixing a date of appearance.

(6) On the date fixed for hearing and after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned, the adjudicating officer may, subject to reasons to be recorded in writing, pass any order in writing as he thinks fit including an order for adjournment :

Provided that after hearing, adjudicating officer may require the concerned person to submit his reply in writing on certain other issues related to the notice under sub-rule (2), relevant for determination of the default.

(7) The adjudicating officer shall pass an order,-

(a) within thirty days of the expiry of the period referred in sub-rule (2) or of such extended period as referred therein, where physical appearance was not required under sub-rule (5);

(b) within ninety days of the date of issue of notice under sub-rule (2), where any person appeared before the adjudicating officer under sub-rule (5):

Provided that in case an order is passed after the aforementioned duration, the reasons of the delay shall be recorded by the adjudicating officer and no such order shall be invalid merely because of its passing after the expiry of such thirty days or ninety days as the case may be.

(8) Every order of the adjudicating officer shall be duly dated and signed by him and shall clearly state the reasons for requiring the physical appearance under sub-rule (5).

(9) The adjudicating officer shall send a copy of the order passed by him to the concerned company, officer who is in default or any other person or all of them and to the Central Government and a copy of the order shall also be uploaded on the website.

(10) For the purposes of this rule, the adjudicating officer shall exercise the following powers, namely:-

(a) to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case after recording reasons in writing;

(b) to order for evidence or to produce any document, which in the opinion of the adjudicating officer, may be relevant to the subject matter.

(11) If any person fails to reply or neglects or refuses to appear as required under sub-rule (5) or sub-rule (10) before the adjudicating officer, the adjudicating officer may pass an order imposing the penalty, in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(12) While adjudging quantum of penalty, the adjudicating officer shall have due regard to the following factors, namely:-

(a) size of the company;

(b) nature of business carried on by the company;

(c) injury to public interest;

(d) nature of the default;

(e) repetition of the default;

(f) the amount of disproportionate gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the default; and

(g) the amount of loss caused to an investor or group of investors or creditors as a result of the default:

Provided that, in no case, the penalty imposed shall be less than the minimum penalty prescribed, if any, under the relevant section of the Act.

(13) In case a fixed sum of penalty is provided for default of a provision, the adjudicating officer shall impose that fixed sum, in case of any default therein.

(14) Penalty shall be paid through Ministry of Corporate Affairs portal only.

(15) All sums realised by way of penalties under the Act shall be credited to the Consolidated Fund of India.

Explanation 1.- For the purposes of this rule, the term "specified manner" shall mean service of documents as specified under section 20 of the Act and rules made thereunder and details in respect of address (including electronic mail ID) provided in the KYC documents filed in the registry shall be used for communication under this rule.

Explanation 2.- For the purposes of this rule, it is hereby clarified that the requirement of submission of replies in electronic mode shall become mandatory after the creation of the e-adjudication platform."

[F. No. 1/25/2013-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 254(E), dated the 31st March, 2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.21 22:25:49 +05'30'